IMPORTANT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(1)स्वामित्व/विधि/पंरा/2020/ 4-8 | दिनांकः 18.01.2021

1. ज़िला कलेक्टर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद,
   समस्त, राजस्थान।

विषय :– "स्वामित्व योजना" के क्रियान्वयन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस (24 अप्रैल 2020) के अवसर पर केन्द्र द्वारा "स्वामित्व" योजना आरम्भ किये जाने की घोषणा की गई थी। "स्वामित्व योजना" के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभावों को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों से किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व विभाग द्वारा "स्वामित्व योजना" के प्रभारी विभाग के रूप में इस योजना के लिए सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित कर, राज्य में 85 सतत् प्रचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) के लिए स्थल का चयन करवाया जाकर, इनकी स्थापना की जा रही है।

इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के सभी गांवों के "आबादी" क्षेत्रों का डिजीटल मानचित्र तैयार कर, [illegible], सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सौंपेगा। गांवों के आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य पूरा होने पर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधान के तहत सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा दिया जायेगा। ज़िलों में योजना का क्रियान्वयन ज़िला कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

ज़िला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् इस योजना के क्रियान्वयन हेतु की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे। योजना क्रियान्वयन के दौरान किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने की दशा में उनका दायित्व होगा कि कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को यह जानकारी देते हुए, पंचायती राज विभाग को नये पदस्थापित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आदान–प्रदान आदि कार्यों में समन्वय एवं मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु राज्य स्तर पर श्री मगनलाल योगी, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज(मो0 नं0.–9929111022), डॉ0 शशी जैन, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग(मो0 नं0. –9414545087), तथा श्री.रविन्द्र मीना(मो0 नं0–9682192940.), भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

"स्वामित्व योजना" के तहत ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्वधारियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत उनके कब्जे (स्वामित्व) की आबादी भूमि का विधिक दस्तावेज़ (पट्टा, विक्रय विलेख पत्र आदि) दिया जाना है। योजना के तहत लाभार्थी को उपरोक्तानुसार पट्टा/विक्रय विलेख एवं रजिस्ट्री भौतिक रूप में देने के साथ–साथ उस दस्तावेज़ की पीडीएफ फाईल बनाकर लाभार्थी के मोबाईल नं0 पर प्रेषित की जानी है। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि असल में देशभर में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करने वाले लोगों को उन राज्यों के प्रचलित नियमों के तहत उनके स्वामित्व वाली आबादी भूमि का वैधानिक दस्तावेज़ दिये जाने के देशव्यापी अभियान को ही "स्वामित्व योजना" के नाम से चलाया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा "स्वामित्व योजना" के तहत राज्य की ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्वधारियों को प्रचलित नियमानुसार पट्टा दिये जाने का अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

"स्वामित्व योजना" के तहत क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया चरणवार इस प्रकार से होगी:–

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम की आबादी भूमि का मानचित्र ड्रोन के जरिए फोटोग्राफी कर तैयार किया जायेगा।

2. ड्रोन उड़ान से पहले राजस्व ग्राम की आबादी भूमि की बाहरी सीमा (outer line) पर चूना मार्किंग की जायेगी तथा इसके पश्चात् इस सीमा रेखा के भीतर जहां–जहां ऐसी आबादी भूमि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, किन्तु उस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ नहीं है अर्थात् खाली पड़ा भूखण्ड है, ऐसे सभी भूखण्डों को भी व्यक्तियों के स्वामित्व के अनुसार चूना लाईन डालकर उसकी सीमा मार्क की जायेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस आबादी भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण किया हुआ है उसे चूना लाईन डालकर मार्क नहीं किया जाना है।
3. उक्त चूना मार्किंग के अगले दिन ड्रोन के जरिए फोटोग्राफी की जायेगी।
4. फोटोग्राफी के पश्चात् सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन से ली गई ईमेज के आधार पर उस ग्राम का ईमेज मैप दिया जायेगा। जिसमें गांव की आबादी भूमि की बाहरी सीमा रेखा तथा इस सीमा के भीतर स्थित खाली पड़े भूखण्डों एवं जिन भूखण्डों पर निर्माण किया हुआ है उनकी भी स्थिति स्पष्ट होगी। इस ईमेज मैप में सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपनी सुविधा से मैप में दिखलाई गई ईमेज के अनुसार खाली पड़े भूखण्डों एवं भवन निर्मित भूखण्डों पर आईडी नम्बरिंग अंकित कर के दी जायेगी।
5. उपरोक्तानुसार ईमेज मैप प्राप्त होने के बाद ग्राम सेवक, दो वार्ड पंच (जिसमें एक सम्बन्धित राजस्व ग्राम का तथा एक अन्य वार्ड पंच) एवं पंचायत का कोई कार्मिक (कनिष्ठ लिपिक अथवा ग्राम रोजगार सहायक) की एक समिति जिसे सर्वे समिति कहा जायेगा, के द्वारा प्राप्त ईमेज मैप के अनुसार प्रत्येक भूखण्ड एवं निर्मित भवन का सर्वे कर निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में उस सम्पत्ति के मालिक का नाम, पिता का नाम, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा उस भूखण्ड की दिशाओं की स्थिति क्षेत्रफल आदि जानकारियां संकलित कर भरी जायेगी।
6. सर्वे प्रपत्र के अनुसार सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त ईमेज मैप को पुनः रिनम्बर कर सर्वे प्रपत्र/सूचियां एवं आईडी रिनम्बरिंग किया हुआ मैप (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) पुनः सर्वेक्षण विभाग को भेजा जायेगा।
7. सर्वेक्षण विभाग द्वारा आईडी रिनम्बरिंग किये हुये मैप एवं संलग्न प्राप्त सर्वे प्रपत्र/सूचियों के अनुसार ईमेज मैप को फिर से सर्वे रिपोर्ट/सूची के आधार पर रिनम्बर किया जाकर पुनः यह मैप पंचायत को भेजा जायेगा।

8. ग्राम पंचायत द्वारा सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त उक्त ईमेज मैप एवं सर्वे प्रपत्र/सूचियों की एक प्रति पंचायत भवन पर चस्पा की जायेगी तथा एक प्रति सम्बन्धित राजस्व ग्राम के किसी सहज दृश्य सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा की जाकर, आम नोटिस जारी किया जायेगा कि मैप वाले सम्बन्धित ग्राम के समस्त पक्षकार इसका अवलोकन कर लें तथा यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो निर्धारित समयावधि (जोकि "स्वामित्व योजना" के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–140 के परन्तुक के प्रावधानानुसार 07 दिवस की होगी) में पंचायत को लिखित में प्रस्तुत कर दें। तत्पश्चात् पंचायत द्वारा साधारण सभा का आयोजन कर, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा।

9. प्राप्त सभी आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर, ग्राम पंचायत की साधारण सभा द्वारा लिये गए निर्णयों की जानकारी दी जायेगी तथा ग्रामसभा द्वारा इस कार्यवाही का अनुमोदन होने के पश्चात् बिन्दु सं0 7 के अनुसार सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त ईमेज मैप एवं सर्वे प्रपत्र/सूचियों में उपरोक्तानुसार यदि कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित हो तो उसके अनुरूप संशोधन कर, इमेज मैप एवं सूचियां पुनः सर्वेक्षण विभाग को प्रेषित की जायेगी।

10. सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार आपत्तियों के निराकरण के बाद ग्राम पंचायत से प्राप्त होने वाले ईमेज मैप एवं सर्वे प्रपत्र/सूचियों को यथा संशोधित कर फाईनल ईमेज मैप आईडी नम्बरिंग के साथ वापिस ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जायेगी।

11. उपरोक्तानुसार प्राप्त हुए फाईनल ईमेज मैप (आईडी नम्बरिंग सहित) को एवं सूचियों को ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत घर पर आम जनता के अवलोकनार्थ चस्पा किया जायेगा तथा इसके आधार पर संबंधित लाभार्थियों को पट्टा रजिस्ट्री करवा कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (PDF Format) में दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

I. बिन्दु सं0 5 में वर्णित सर्वे समितियों जिसमें ग्राम सेवक, दो वार्ड पंच (जिसमें एक सम्बन्धित राजस्व ग्राम का तथा एक अन्य वार्ड पंच) एवं पंचायत का कोई कार्मिक (कनिष्ठ लिपिक अथवा ग्राम रोजगार सहायक) सम्मिलित हो, का प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु गठन किया जाये।

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन उड़ान की तिथि सूचित किये जाने पर उस निर्धारित तिथि से पहले बिन्दु संख्या 02 के अनुसार सम्बन्धित राजस्व ग्राम की आबादी भूमि की बाहरी सीमा(outer line) पर चूना लाईन डालकर उसकी सीमा मार्क किये जाने का कार्य पटवारी एवं ग्राम सेवक द्वारा तथा इस सीमा रेखा के भीतर की आबादी भूमि पर चूना लाईन डालकर उसकी सीमा मार्क किये जाने का कार्य सर्वे समितियों द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। यह चूना लाईन चार इंच चौड़ाई की डाली जानी है, ताकि ड्रोन द्वारा ईमेज पकड़ी (Capture) जा सके।

III. यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि के स्वामित्वधारियों को पट्टा दिया जाता रहा है। अतः उक्तानुसार "स्वामित्व योजना" के कियान्वयन के दौरान किये जाने वाले सर्वे के समय ऐसे स्वामित्वधारी भी हो सकते हैं जिनके पास पूर्व में पंचायत द्वारा जारी किया हुआ पट्टा हो तथा ऐसे स्वामित्वधारी भी हो सकते हैं, जिनके पास इस प्रकार से पंचायत द्वारा जारी किया गया कोई पट्टा नहीं हो, संलग्न प्रपत्र में इससे सम्बन्धित जानकारी का भी इन्द्राज किया जायेगा।

IV. सर्वे के दौरान बिन्दु सं0 3 के अनुसार आने वाले प्रकरणों एवं अन्य संभावित प्रकरणों के लिए इस योजना के तहत पट्टा वितरण किये जाने बाबत विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शन पृथक से पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

V. स्वामित्व योजना के संबंध में उपरोक्तानुसार ड्रोन के जरिए की जाने वाली फोटोग्राफी के आधार पर ईमेज मैप बनाये जाने एवं इस प्रकार से पट्टा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (PDF Format) में दिये जाने संबंधित प्रक्रिया बाबत आमजन को विस्तार से जानकारी दी जाकर उन्हें इस बाबत जागरूक भी किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न कार्मिकों यथा ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों आदि के माध्यम से प्रचार करवाया जाये। वॉल पेंटिग एवं हैण्डबिल आदि भी प्रकाशित करवा कर, प्रचार प्रसार का कार्य किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्तानुसार निर्देशों का अध्ययन कर, ज़िला कलेक्टर के निर्देशन में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने–अपने ज़िलों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना

सुनिश्चित करावें। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना का राज्य में सबसे पहले क्रियान्वयन जैसलमेर ज़िले में किया जाना है। अतः इस ज़िले के ज़िला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् सर्वे टीमों का गठन कर अविलम्ब कार्यवाही आरम्भ करावें तथा अन्य ज़िले आगामी निर्देशों तक ग्राम पंचायतों की आबादी भूमियां चिन्हित करवा कर, सम्बन्धित पंचायत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इनका इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें।

(मनु रंजपाल)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. ए0सी0पी0, पंचायती राज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

स्वामित्व योजना के तहत सर्वे प्रपत्र

ज़िला..... पंचायत समिति..... ग्राम पंचायत..... राजस्व ग्राम.....

क्र0 सं0	प्रोपट्री आईडी	स्वामित्वधारी का नाम	पिता / पति का नाम	क्या पूर्व में पट्टा जारी है, यदि हां तो पट्टा क्र0 / दिनांक	आधार नं0	मोबाईल नं0	प्रोपट्री आयाम (Dimension)				कुल क्षेत्रफल
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	

ह0 ग्राम सेवक ह0 वार्ड पंच ह0 वार्ड पंच ह0 कनिष्ठ लिपिक अथवा ग्राम रोजगार सहायक